Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

कार्यवाही विवरण

मेसर्स अरसमेटा केप्टिव पावर कम्पनी प्रा.लि. गोपालनगर, जिला जांजगीर-चाम्पा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार 1x43 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई दिनांक 19.03.2008, दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे, स्थान इंदिरा उद्यान, अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा के प्रांगण में सम्पन्न हुई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्व संबंधितों से अरसमेटा केप्टिव पावर कंपनी के क्षमता विस्तार के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवसों के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिये सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र टाइम्स् आफ इंडिया, नई दिल्ली में, के अंक में क्रमशः दिनांक 13.02.2008 एवं दिनांक 14.02.2008 को जन साधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर के समक्ष दो आपत्तियां क्रमशः छत्तीसगढ़ एजेंसी जांजगीर एवं दिनेश विश्वकर्मा, जांजगीर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

लोक सुनवाई के दौरान प्रबंधन के प्रतिनिधि श्री प्रणव कुमार एवं श्री सुबन्दु घोष द्वारा इस परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ परियोजना की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जल, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। जनसुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये -

1. पूर्व से ही क्षेत्र में स्थित बांगो का पानी NTPC को दे दिया गया है। वर्तमान प्लांट के विस्तार में लीलागर नदी का पानी अरसमेटा को दिया गया तो क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल के लिये पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा साथ ही साथ ग्रामीणों के निस्तार के लिये भी पानी कम पडेगा। अभी भी नदी में पानी कम है।
2. प्लांट स्थापना के क्षेत्रवासियों को प्लांट में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जावे।
3. प्रदूषण नियंत्रण की जानकारी ग्रामवासियों को कैसे पता चलेगी, इसकी जानकारी दी जावे।
4. क्षेत्र में दूषित पानी का उपयोग ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। दूषित पानी के उपचार की व्यवस्था कराई जावे।
5. स्थानीय छात्रों को प्लांट ITI के प्रशिक्षण हेतु भेजे ताकि प्रशिक्षण उपरान्त प्लांट में रोजगार प्राप्त हो सके।
6. अरसमेटा बांध का पानी लाफार्ज के खदान नंबर 2 में रिस-रिस कर जा रहा है। उक्त पानी का उपयोग अरसमेटा केप्टिव पावर प्लांट के द्वारा किया जा रहा है जिससे बांध का जलस्तर कम होने के कारण अरसमेटा एवं परसदा ग्राम के लगभग 200 एकड़ की फसल सूख रही है।
7. पूर्व में इसी प्लांट की स्थापना के समय Green Belt की स्थापना की बात कही गई थी जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है।
8. जनसुनवाई के लिये प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में प्रचार-प्रसार नहीं कराया गया जिसके कारण ग्रामवासी उपस्थित नहीं हो पाये हैं।

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.

9. प्लांट में ठेकेदार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध न कराकर सीधे कंपनी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जावे।
10. आस-पास के ग्रामों में काफी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध हैं लेकिन उनके पास योग्यता नहीं होंने की वजह से उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है अतएव प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे।
11. प्लांट विस्तार से आसपास की खराब होने वाली कृषि भूमि एवं जल उपलब्धता का सर्वेक्षण कराया जाकर ही अनुमति दी जानी चाहिये।
12. कलेक्टर जिला जांजगीर-चाम्पा को अरसमेटा केप्टिव पावर प्लांट एवं ग्रामीण जनसमुदाय के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का निराकरण करने के लिये न्यायकर्ता (मध्यस्थ) (Arbitrator) बनाया जावे। न्यायकर्ता (मध्यस्थ) (Arbitrator) का निर्णय अंतिम होगा।
13. अरसमेटा केप्टिव पावर प्लांट में निम्नतर पदों पर 100% स्थानीय बेरोजगारों को नियुक्ति दी जावे।
14. व्यावसायिक कुशलता के पदों पर नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम जिले में उपलब्ध Skilled Professional को अवसर दिया जावे। जिले में Skilled Professional न मिलने पर ही बाहर से नियुक्ति की कार्यवाही कलेक्टर जांजगीर चाम्पा की अनुमति से ही किया जावे।
15. प्रभावित ग्रामों में अरसमेटा केप्टिव पावर प्लांट की ओर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं केम्प लगाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जावे।
16. प्रभावितों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार न दिला पाने की स्थिति में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उदाहरणार्थ परिवहन, कालोनी में व्यवसाय हेतु दुकानें, वित्तीय ऋण आदि के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जावे।
17. शिक्षा संबंधी सुविधाओं के तहत प्रशिक्षण एवं कोचिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे।
18. ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जावे।
19. प्लांट लगाया जाना चाहिये लेकिन रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में स्पष्ट नियम, नीति-निर्देश होना चाहिये जो बेरोजगार के विरूद्ध न हो।

लोक सुनवाई के दौरान भी जनसामान्य द्वारा आपत्ति/विचार दर्ज कराई गई, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जनसामान्य की उपस्थिति लगभग 250-300 रही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्ड़ल
बिलासपुर

(ए.के.तिवारी)
अपर कलेक्टर
(कलेक्टर प्रतिनिधि)
जांजगीर-चाम्पा

Please purchase Image2PDF on http://www.verypdf.com/ to remove this message.